



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 14-04-21

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 600 गोली नशीली एल्प्राजोलम टेबलेट मय रेपर के साथ दो अभियुक्तगण गिरफ्तार -

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शांति मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 14.04.2021 को चैकिंग के दौरान दो शांति अभियुक्तगण **रुबेल व सिद्धान्त** को **300 – 300 गोली नशीली एल्प्राजोलम टेबलेट मय रेपर** के साथ हड्डी मिल के पास सजवान नगर थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता

- 1- रुबेल पुत्र मुनीर, नि. सजवान नगर, थाना विजयनगर गाजियाबाद
- 2- सिद्धान्त पुत्र राजकुमार, नि. म.नं. 2879, गोकुलधाम सोसायटी, सिद्धार्थ विहार, थाना विजयनगर, गा.बाद

पंजीकृत अभियोगो का विवरण

- 1- मु.अ.सं. 389/21 धारा 8/21 NDPS Act. थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम रुबेल
- 2-मु.अ.सं. 390/21 धारा 8/21 NDPS Act. थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम सिद्धान्त

बरामदगी का विवरण

1. 300 गोली नशीली एल्प्राजोलम टेबलेट मय रेपर अभियुक्त रुबेल से बरामद
2. 300 गोली नशीली एल्प्राजोलम टेबलेट मय रेपर अभियुक्त सिद्धान्त से बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- 1-अतिरिक्त निरीक्षक श्रीमती किरन राज
- 2-SI श्री महक सिंह
- 3-है0का0 1512 वीर सिंह
- 4-है0का0 1635 अमरीश



थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा 01 अभि0 गिरफ्तार.

01 अदद तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व पुराने मुकदमे से सम्बन्धित 700 रु0 बरामद

श्रीमान उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान **थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि0 14/04/21 को अभि0 आकिल पुत्र पप्पल निवासी निवाड़ी पुरानी बैंक के पास थाना निवाड़ी जिला गा0बाद को जीडीए कार्यालय के पास पुराना बस अड्डा से अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व मु0अ0सं0 363/21 धारा 379/420 भादवि से सम्बन्धित 700/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।**

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 04/04/21 को चैकिंग वादी श्री पवन राठी पुत्र महावीर सिंह नि0 वसुन्धरा SEC – 4A इन्दिरापुरम गा0बाद द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर थाना हाजा मु0अ0सं0 363/021 धारा 379/420 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसमें वादी की सासो माँ श्रीमती उर्मिला W/O स्वर्गीय पालेराम निवासी फेजपुर निनाना जिला बागपत दिनांक 3/4/2021 को गा0बाद बस स्टैण्ड से सिकन्दरबाद जा रही थी पुराना बस स्टैड पर थी तभी एक व्यक्ति आया उसने कहा कि हम भी सिकन्दरबाद जा रहे है। आप को अपनी गाडी से वही छोड़ देगे। हमारे साथ में हमारी धेवता व एक सवारी और थी वो भी उसमें बैठ गये रास्ते में उन्होने ये कहकर की रास्ते में चैकिंग चल रही है हमारे कान के कुण्डल व 15000/- नगद एक लिफाफे में रखवा दिये लाल कुआ के पास ये कहकर कि हम लोग पार्शल डाक ले ले तब तक आप लोग यही पर इन्तजार करना काफि देर हम लोगो ने इन्तजार किया व लोग नही आये

उपरोक्त मे विववेचक **उ0नि0 श्री बलराम सिंह सेंगर द्वारा मय टीम के मालीवाडा चौराहे पर चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना पर अभि0 आकिल उपरोक्त को पकड लिया** अभि0 ने पूछताछ मे बचाया कि मेरा देस्त आसिफ पिपलेडा थाना धौलाना हापुड का रहने वाला है उसके पास गाडी है हम लोग महिलाओ को जहा जाना चाहती है वही का बताकर बैठा लेते है व चैकिंग का बहाना बनाकर फनके जेवर व पैसे लिफाफे मे रखवा लेते है कान के कुण्डल मेरा दोस्त ले गया था 15000 रु मे से बाटकर 700 रु0 बचे थे कि आपने गिरफ्तार कर लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आकिल पुत्र पप्पल निवासी निवाड़ी पुरानी बैंक के पास थाना निवाड़ी जिला गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1.मु0अ0सं0 428/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट बनाम आकिल थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
- 2 मु0अ0सं0 363/021 धारा 379/420/411 भादवि बनाम आकिल व आसिफ पिपलेडा थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री बलराम सिंह सेंगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
- 2.का0 276 विनीत कुमार थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

बरामदगी

- 1.अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस



थाना मसूरी पुलिस ने 1 अभियुक्त को किया गिरफ्तार , कुल-57 ली0 अवैध शराब मय एक अदद ईको कार न0-UP16 AF 0491 बरामद

दिनांक:- 14.04.21

कार्यवाही -श्रीमान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 14.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 जसवन्त सिंह द्वारा बडका आरिफपुर मसूरी से एक गाड़ी ईको कार को रोककर चैक गया तो ईको कार में एक व्यक्ति नाम मुकेश पुत्र दयानन्द निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी जिला गा0बाद उम्र 43 वर्ष तथा ईको कार को चैक करने पर 180 पच्चे (34 ली0)अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का नाईट ब्लू 120 पच्चा (23 ली0) अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का कुल-57 ली0 अवैध शराब बरामद । तथा बरामद ईको कार की नम्बर प्लेट पर रजि0नं0 UP16 AF 0491 अंकित है ।

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्त मुकेश उपरक्त अवैध शराब की तस्करी कर भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करता है जिसके कब्जे से 180 पच्चे (34 ली0)अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का नाईट ब्लू 120 पच्चा (23 ली0) अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का कुल-57 ली0 अवैध शराब मय गाड़ी ईको कार बरामद की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण:-

(1) 180 पच्चे (34 ली0)अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का नाईट ब्लू 120 पच्चा (23 ली0) अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का **कुल-57 ली0 अवैध शराब**

(2) एक अदद गाड़ी ईको कार न0-UP16 AF 0491

गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) मुकेश पुत्र दयानन्द निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी जिला गा0बाद

पंजीकृत अभियोग:-

(1) मु0अ0स0 247/21 धारा 60/63/72 Ex. Act थाना मसूरी गा0बाद ।



थाना मसूरी पुलिस ने 1 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ,120 पच्चे (34 ली0) हरियाणा मार्का अवैध देशी शराब मसालेदार मय एक अदद मोटर साईकिल न0-

UP14 EL 4056 बरामद

दिनांक:- 14.04.21

कार्यवाही -श्रीमान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 14.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 जसवन्त सिंह द्वारा बडका आरिफपुर मसूरी से एक मोटर साईकिल को रोककर चैक गया तो मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्ति नाम 01- आदेश कुमार पुत्र गोविन्दराम शर्मा निवासी मौहल्ला नन्दनगरी थाना मोदीनगर जिला गा0बाद उम्र 32 वर्ष व फरार अभियुक्त संजय पुत्र नामालूम निवासी ग्राम दौसा थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद तथा मोटर साईकिल सीटी 100 को रोकने पर रोक कर चैक किया गया तो 120 पच्चे (23 ली0)अवैध देशी शराब मसालेदार हरियाणा मार्का कुल-23 ली0 अवैध शराब बरामद । तथा मोटर साईकिल की नम्बर प्लेट पर रजि0नं0 UP14 EL 4056 अंकित है ।

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्त मुकेश उपरक्त अवैध शराब की तस्करी कर भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करता है जिसके कब्जे से 180 पच्चे (34 ली0)अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का नाईट ब्लू 120 पच्चा (23 ली0) अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का कुल-57 ली0 अवैध शराब मय गाड़ी ईको कार बरामद की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण:-

(1) 120 पच्चे (23 ली0)अवैध देशी शराब मासालेदार हरियाणा अवैध शराब

(2) एक अदद मोटर साईकिल न0UP14 EL 4056

गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) आदेश कुमार पुत्र गोविन्दराम शर्मा निवासी मौहल्ला नन्दनगरी थाना मोदीनगर जिला गा0बाद

(2) पंजीकृत अभियोग:-

(1) मु0अ0सं0 248/21 धारा 60 Ex. Act थाना मसूरी गा0बाद ।

फरार अभियुक्त - संजय पुत्र नामालूम निवासी ग्राम दौसा थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद



थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त इनाम पुत्र मेहदी हसन निवासी 100 फुटा रोड प्रेम नगर थाना लोनी गा0बाद को 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ महिन्द्रा बैक एटीएम लोनी हल्का चौकी लोनी तिराहा से दिनांक 13.04.2021 को रात्रि में गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

इनाम पुत्र मेहदी हसन निवासी 100 फुटा रोड प्रेम नगर थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-447/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी लोनी तिराहा थाना लोनी गा0बाद
2. है0का0 594 राहुल
3. का0 1287 राजू

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस



थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 231/2021 धारा 376/511/307/120बी

भादवि के 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीया महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.04.2021 को वैशाली कट के पास से मु0अ0सं0 231/2021 धारा 376/511/307/120बी भादवि के चल रहे वांछित 02 नफर अभियुक्त 1. अभिषेक पुत्र कुलवीर नि0 म0न0 ए 51 ब्लाक ए सै0 2 वैशाली स्थायी पता ग्राम इस्लामनगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद उम्र 24 वर्ष 2. अंकित पुत्र नरेन्द्र सिंह न0 थर्ड फ्लोर सी 87 सै 3 वैशाली गा0बाद स्थायी पता ग्राम मड़डिया मिश्रीपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण उपरोक्त को न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है ।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी के साथ योजना बनाकर रेप करने की कोशिश करना तथा रेप करने में नाकाम होने पर जान से मारने की कोशिश करना ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-

1. अभिषेक पुत्र कुलवीर नि0 म0न0 ए 51 ब्लाक ए सै0 2 वैशाली स्थायी पता ग्राम इस्लामनगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद उम्र 24 वर्ष

2. अंकित पुत्र नरेन्द्र सिंह न0 थर्ड फ्लोर सी 87 से 3 वैशाली गा0बाद स्थायी पता ग्राम मड्डिया मिश्रीपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद उम्र 24 वर्ष

अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 231/2021 धारा 376/511/307/120बी भादवि थाना कौशाम्बी गा0बाद

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह थाना कौशाम्बी

2.उ0नि0 श्री सन्नी कुमार

3.का0 1307 इन्द्रजीत सिंह

4.का0 933 सुनील कुमार

